शासन को निर्देश दिए थे कि याचिकाकर्ता का एनपीएस में काटा गया फंड ट्रांसफर कर उन्हें पुरानी पेंशन योजना के दायरे में लाया जाए। तीन महीने पहले हुए इस फैसले पर स्कूल शिक्षा विभाग ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है और अब विभाग इस आदेश के खिलाफ अदालत जाने की तैयारी कर रहा है।

(मर्जर) और पदनाम का बदलाव था। चूंकि कर्मियों की सेवा में एक भी दिन का व्यवधान नहीं रहा है, इसलिए इसे नई भर्ती नहीं माना जा सकता। अदालत ने साफ निर्देश दिया कि पेंशन के प्रयोजन के लिए संविलियन से पूर्व की पूरी सेवा अवधि को गिना जाए और उन्हें ओपीएस की पात्रता दी जाए।

ने बताया कि इसे लागू करने से शासन पर भारी वित्तीय भार आना तय है। यही वजह है कि विभाग ने को महाधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ता के साथ एक बैठक भी बुलाई गई है।

हम कई बार इस पर रिमाइंडर भेज चुके – मामले से जुड़े शिक्षक राजेश मिश्रा ने बताया कि बार-बार विभाग द्वारा यह कहना कि शिक्षाकर्मी को पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा, इस बात को कोर्ट ने खारिज कर दिया। लेकिन, उस आदेश का अब तक पालन नहीं हुआ, जबकि हम कई बार इस पर रिमाइंडर भेज चुके हैं।

केंद्रीय मंत्री के घर के बाहर भूख हड़ताल करेंगे भाजपा विधायक

धार| धामनोद की स्थानीय समस्याओं का विवाद अब भाजपा विधायक और केंद्रीय मंत्री के बीच सार्वजनिक बयानबाजी तक पहुंच गया है। धरमपुरी विधायक कालू सिंह ठाकुर ने 9 अक्टूबर से केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर के धामनोद स्थित निवास के बाहर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने का ऐलान किया है।

विधायक का कहना है कि नगर की समस्याओं को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से कई बार शिकायत के बावजूद समाधान नहीं हुआ। विधायक प्रतिनिधि नीलेश माहेश्वरी ने आंदोलन की पुष्टि की है। केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर ने विधायक के वायरल संदेश पर कहा कि वे आएंगे तो उनका स्वागत कर चाय-पानी पिलाएंगे। उन्होंने कहा कि वे केंद्र सरकार के काम देखती हैं और स्थानीय नगर परिषद के कार्यों में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है। मंत्री ने कहा कि उन्हें बेवजह इस मामले में घसीटा जा रहा है।

एक कचौड़ी, दो समोसा पर बोले शिवराज- पुरुष आत्ममंथन करें

सवाल उठाया- आखिर समाज में ऐसी नौबत क्यों आई

भोपाल| केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आयोजित 'नवगति' एजुकेशन स्कॉलरशिप कार्यक्रम में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे नारे 'एक कचौड़ी, दो समोसा, इन मर्दों का क्या भरोसा' पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर समाज में ऐसी नौबत क्यों आई कि बेटियों को यह लिखना पड़ रहा है।

चौहान ने कहा कि अगर बेटियां पुरुषों पर भरोसा नहीं कर पाएंगी, तो समाज और देश आगे कैसे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि बेटियों को गलत नजर से देखने वाले लोग अक्सर अनजान नहीं, बल्कि जान-पहचान के ही होते हैं, इसलिए पुरुषों, बेटों और उनके माता-पिता को आत्ममंथन करने की जरूरत है। बेटियों का सम्मान व सुरक्षा केवल परिवार नहीं, पूरे समाज की जिम्मेदारी है।

कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ड्राइवरों को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप योजना की घोषणा की। 8वीं से 12वीं तक 60% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को 4,000 से 4,500 रुपए और 90% से अधिक अंक लाने पर 5,000 रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। चौहान ने आगे रोजगार व प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 'मामा कोचिंग क्लास' के जरिए भी मदद का भरोसा दिया।

वाणिज्यिक कर, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के भर्ती नियमों में किया गया संशोधन

तृतीय श्रेणी, राजपत्रित पदों के लिए स्नातक अनिवार्य

पॉलिटिकल रिपोर्टर | भोपाल

राज्य सरकार ने तृतीय श्रेणी और राजपत्रित पदों के भर्ती नियमों में संशोधन किया है। इन पदों पर भर्ती के लिए अब न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक अनिवार्य कर दी गई है। वाणिज्य कर एवं पंजीयन तथा मुद्रांक विभाग के अंतर्गत आने वाले पदों की भर्ती प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए नियमों में संशोधन किए गए हैं।

इसके तहत मप्र पंजीयन एवं मुद्रांक तृतीय श्रेणी अलिपिकीय वर्गीय सेवा भर्ती नियम, 2007 और कार्यपालिक राजपत्रित सेवा भर्ती नियम, 2007 दोनों में संशोधन किए गए हैं। अब विभाग में इन पदों पर सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास किसी केंद्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान, अथवा यूजीसी अधिनियम, 1956 के अधीन मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या इसके समकक्ष योग्यता होना अनिवार्य कर दिया गया है।

इस संशोधन से आने वाले समय में इन विभागों में निकलने वाली तृतीय श्रेणी और राजपत्रित पदों की भर्तियों के लिए शैक्षणिक योग्यता को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो गई है।

विभिन्न विभागों में भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में तृतीय श्रेणी और राजपत्रित पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता एक जैसी नहीं है, बल्कि यह विभाग के सेवा भर्ती नियमों और पद के स्वरूप पर निर्भर करती है:

राजपत्रित पद: डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी व जिला पंजीयक/कर अधिकारी जैसे राजपत्रित पदों के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम स्नातक होना अनिवार्य है। वहीं, तकनीकी और विशेष राजपत्रित पदों (जैसे- इंजीनियरिंग सेवाएं, चिकित्सा सेवा या उच्च शिक्षा विभाग में सहायक प्राध्यापक) के लिए संबंधित विषय में डिग्री और स्नातकोत्तर (PG) के साथ विशेष अर्हता होना आवश्यक है।

सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश: अधिकांश विभागों में तृतीय श्रेणी के सामान्य या लिपिकीय पदों (जैसे- सहायक ग्रेड-3) के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं उत्तीर्ण होने के साथ टाइपिंग व कंप्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र (सीपीसीटी) अनिवार्य है।

तकनीकी पद: कुछ विभागों में तृतीय श्रेणी के तकनीकी पदों के लिए आईटीआई, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, या संबंधित ट्रेड में डिग्री होना आवश्यक होता है। अब स्नातक की डिग्री को प्रमुखता दी गई है।

आदिवासियों के लिए इस साल 139.20 करोड़ तेंदूपत्ता बोनस

भोपाल| राज्य सरकार इस साल लगभग 13 लाख आदिवासी परिवारों को 139.20 करोड़ तेंदूपत्ता बोनस बांटेगी। यह राशि पिछले साल से 24 करोड़ रुपए अधिक है। मप्र लघु वनोपज संघ (वन विभाग) ने बोनस वितरण कार्यक्रम की योजना तैयार कर ली है। है। यह राशि डीबीटी के जरिए सीधे तेंदू पत्ता संग्राहकों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। बोनस वितरण की औपचारिक शुरुआत 4 अक्टूबर को मंडला जिले से की जाएगी। यहां सर्वाधिक 20 करोड़ की राशि वितरित होगी। इसके अगले दिन 5 अक्टूबर को खंडवा जिले के हरसूद (छनेरा) में आयोजित तेंदू पत्ता संग्राहक सम्मेलन होगा, जिसमें 20 करोड़ रुपए की राशि हरदा जिले के आदिवासियों के खाते में डाले जाएंगे। यह बोनस राशि वर्ष 2024 में संग्रहित किए गए 22 हजार 212 मानक बोरा तेंदूपत्ता की बिक्री से प्राप्त कुल आय में से दी जा रही है। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस योजना से प्रदेश के लाखों गरीब और जनजातीय परिवारों को सीधा आर्थिक लाभ पहुंचेगा।

इंदौर

सेवा संकल्प अभियान विस-4 में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर

भास्कर संवाददाता | इंदौर

सेवा संकल्प अभियान के तहत क्षेत्र क्रमांक-4 में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। विधायक मालिनी गौड़ और भाजपा प्रदेश महामंत्री गौरव रणदिवे ने शिविर का शुभारंभ किया। इसमें क्षेत्रवासियों के स्वास्थ्य की जांच, चिकित्सकीय परामर्श सहित जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराई गईं।

वक्ताओं ने कहा कि स्वस्थ समाज ही सशक्त समाज की नींव है। लोगों को समय पर स्वास्थ्य जांच और उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऐसे शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी नागरिकों को प्रेरित किया।

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र परिवारों को अस्पताल में भर्ती होकर उपचार के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर मिलता है। 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को भी योजना में शामिल किया गया है। कार्यक्रम में एमआईसी सदस्य राकेश जैन, पार्षद कमलेश कालरा, मंडल अध्यक्ष हेमेन्द्र झीनीवाल और डॉ. सक्सेना सहित अन्य उपस्थित रहे।

विधानसभा अध्यक्ष तोमर आज इंदौर आएंगे

इंदौर | मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर रविवार 4 अक्टूबर को इंदौर आएंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वे दोपहर 2.30 बजे इंदौर पहुंचेंगे। वे दोपहर 3.15 बजे जाल सभागृह में आयोजित भारतीय पत्रकारिता महोत्सव में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के पश्चात वे शाम को होटल श्रीमाया रेसीडेंसी में "पिता मेरे स्मृति में पिता' किताब के विमोचन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे।

आज मिलेगी छात्रवृत्ति

इंदौर | रविवार को 'ब्राह्मण श्री अलंकरण एवं छात्रवृत्ति वितरण समारोह' अहिल्या आश्रम स्कूल में शाम 5 बजे आयोजित होगा। इसमें 500 जरूरतमंद व प्रतिभावान विद्यार्थियों को 15.50 लाख रुपए की शैक्षणिक सहायता दी जाएगी।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

प्रधान कार्यालय : बड़ौदा हाऊस, पोस्ट बॉक्स नं.: 506, मांडवी बड़ौदा 390006
क्षेत्रीय कार्यालय : प्लॉट नं. 12 आर.सी, प्रथम मंजिल, स्कीम नं 134 निपानिया, इंदौर (म.प्र.) फोन नं. 0731-2437060,65,12,38

ई-नीलामी विक्रय सूचना

परिशिष्ट – IV-A (नियम 8 (6) एवं 9(1) का परन्तुक देखें)
अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) एवं 9 (1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रुप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति–दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियाँ जो **बैंक ऑफ बड़ौदा** प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी / प्रभारित है, जिसका कब्जा **बैंक ऑफ बड़ौदा** प्रतिभूत लेनदार के नीचे दी गई शाखा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है"** एवं **"दायित्व रहित के आधार पर"** के आधार पर निम्नलिखित वर्णित ऋणीयों से **बैंक ऑफ बड़ौदा** प्रतिभूति लेनदार की निम्न वर्णित बकाया राशि की वसूली हेतु ई–नीलामी द्वारा बेची जाएगी।

क्र.	ऋणी / जमानतदार का नाम/ शाखा का नाम	बकाया राशि	अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण ज्ञात भार सहित यदि कोई एवं संपत्ति मालिक का नाम	ई–नीलामी दिनांक समय	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / बिड वृद्धि राशि (रु.)	कब्जा स्थिति सांकेतिक/ भौतिक	संपत्ति निरीक्षण दिनांक व समय
1.	**श्रीमती नमिता जैन पति सुधीर जैन** **श्री सुधीर जैन पिता सुरेश चन्द्र जैन** **पता:** फ्लेट नंबर 103 वाणिज्यिक भवन, श्री मणि विनायक कॉम्प्लेक्स में पहली मंजिल, प्लॉट नंबर 59 (पुराना नंबर 47) माणिक चौक, इंदौर (म.प्र.)-452001. **श्री सुधीर जैन पिता सुरेश चन्द्र जैन** **श्रीमती नमिता जैन पति सुधीर जैन** **पता:** 2 शंकरबाग कॉलोनी, मरीमाता चौराहा के पास, इंदौर (म.प्र.)-452002 **शाखा: शीतला माता**	रू. 1,14,05,047.00 + अप्रयुक्त ब्याज एवं अन्य खर्चे नियमानुसार लागू	फ्लेट नम्बर 103, पहली मंजिल, वाणिज्यिक भवन श्री मणि विनायक कॉम्प्लेक्स, प्लॉट नंबर 59 (पुराना नंबर 47) माणिक चौक, इंदौर (म.प्र.)-452001, जिसका बिल्टप क्षेत्रफल 648.00 वर्ग फुट एवं सुपर बिल्टप क्षेत्रफल 874.80 वर्ग फुट, **संपत्ति मालिक:** श्री सुधीर जैन पिता श्री सुरेश चंद्र जैन, इसकी **चतुर्सीमा** इस प्रकार हैं- **पूर्व–** नगरपालिका की पिछली गली, **पश्चिम–** फ्लेट नंबर 102, **उत्तर–** विनायक गंगाधर आप्टे की खुली भूमि, **दक्षिण–** फ्लेट नंबर 104	26.10.2026 को दोपहर 02:00 बजे से शाम 6:00 बजे	1,41,75,000/- 14,17,500/- 10,000/-	भौतिक	23-10-2026 सुबह: 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक
2.	**मेसर्स माइंड||| सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड,** पता : 502-505, कृष्णा टॉवर, पिपलियाहाना मेन रोड, स्कीम नं. 140, इन्दौर, (उधारकर्ता - आवेदक), **श्री ब्रजमोहन शर्मा (डायरेक्टर और जमानतदार), श्री संतोष शर्मा (डायरेक्टर और जमानतदार)**, दोनों का पता : 10 रायल रेसीडेन्सी पिपलियाहाना चौराहा, इन्दौर एवं मकान नं. 48, सिल्वेनस क्लस्टर, एसएस इनफिनिटस स्पेस - I, एमआर 11, लसुडिया मोरी, इन्दौर, **श्री अरविंद पाटीदार (डायरेक्टर और जमानतदार)**, पता : मकान नं. 64 सिल्वेनस क्लस्टर, एसएस इनफिनिटस स्पेस - I, एमआर 11, लसुडिया मोरी, इन्दौर, **शाखा: सिद्धार्थ प्लाज़ा**	रू. 42,02,107.25 + अप्रयुक्त ब्याज एवं अन्य खर्चे नियमानुसार लागू	प्लॉट नंबर 111, "सात्विक विहार", एस नम्बर 103/1, 103/3, 103/4, 103/5, 104/1, 104/2, 104/3, 104/4, 108/1/1, 108/1/2, 108/2, 108/3, 109/3, 109/4, 114/1 और 114/2 गाँव मांगलिया सड़क, तहसील सांवेर, जिला इंदौर पर स्थित, और क्षेत्रफल 89.61 मीटर या 965 वर्ग फीट, **संपत्ति मालिक:** श्री ब्रजमोहन शर्मा पिता सुरेश चंद्र शर्मा और श्री संतोष शर्मा पिता सुरेश चंद्र शर्मा), **चतुर्सीमा: पूर्व:** अन्य भूमि, **पश्चिम:** कॉलोनी रोड, **उत्तर:** प्लॉट नंबर 112, **दक्षिण:** प्लॉट नंबर 110	26.10.2026 को दोपहर 02:00 बजे से शाम 6:00 बजे	50,00,000/- 5,00,000/- 10,000/-	भौतिक	23-10-2026 सुबह: 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक
3.	**मैसर्स परफेक्ट इंटरप्राइजेज, प्रोप मोहम्मद आकिब अगवान पिता मोहम्मद इमरान अगवान,** निवासी सेक्टर सी, इंदौर मेन रोड, सांवेर रोड इंदौर-452015, 37/ए ग्रीन लैंड कॉलोनी स्नेह नगर सपना संगीता अग्रसेन चौराहे के पास इंदौर **मोहम्मद आकिब अगवान पिता मोहम्मद इमरान अगवान,** 25/ए ग्रीन लैंड कॉलोनी के पिछे सेंट एन्स एचएस स्कूल स्नेह नगर सपना संगीता अग्रसेन चौराहे के पास इंदौर, **मोहम्मद आकिब अगवान पिता मोहम्मद इमरान अगवान,** ब्लॉक-सी, शिव सिटी (सिल्वर) यूनिट नंबर 403, चौथी मंजिल शिवाशीष अपार्टमेंट ग्राम- निहालपुर मुंडी इंदौर- **शाखा: आरएसएस नगर**	रू. 80,76,923.12 + अप्रयुक्त ब्याज एवं अन्य खर्चे नियमानुसार लागू	आवासीय फ्लेट नंबर 403, चौथी मंजिल, शिवाशीष अपार्टमेंट, ब्लॉक-सी, शिव सिटी (सिल्वर), प्लॉट नंबर 356, ग्राम- निहालपुर मंडी, इंदौर, **बिल्टअप एरिया 422 वर्ग फीट, 39.21 वर्ग मीटर,** **चतुर्सीमा: पूर्व:** फ्लेट नंबर 402, **पश्चिम:** कॉलोनी की सड़क, **उत्तर:** फ्लेट नंबर 404, **दक्षिण:** प्लॉट नंबर 355, **संपत्ति मालिक:** मोहम्मद आकिब अगवान पिता मोहम्मद इमरान अगवान	26.10.2026 को दोपहर 02:00 बजे से शाम 6:00 बजे	16,45,800/- 1,64,580/- 10,000/-	सांकेतिक	23-10-2026 सुबह: 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक
4.	**श्रीमती समता देवी मुंदड़ा पति श्री किशन मुंदड़ा** पता: 66 बैकुंठधाम कॉलोनी इन्दौर **शाखा: साउथ तुकोगंज**	रू. 34,74,48,439.46 + अप्रयुक्त ब्याज एवं अन्य खर्चे नियमानुसार लागू	कार्यालय परिसर क्रमांक बी, प्रथम तल शालीमार प्लाजा, 225 आएनटी मार्ग, इंदौर, मालिक श्रीमती समतादेवी मुंदड़ा पति श्री किशन मुंदड़ा, सुपर बिल्टअप क्षेत्रफल 507 वर्ग फुट, **चतुर्सीमा: पूर्व:** गालियारा, **पश्चिम:** बावड़ी, **उत्तर:** कार्यालय नं. ए, **दक्षिण:** अन्य कार्यालय, **मालिक: श्रीमती समतादेवी मुंदड़ा पति श्री किशन मुंदड़ा**	26.10.2026 को दोपहर 02:00 बजे से शाम 6:00 बजे	15,97,000/- 1,59,700/- 1,00,000/-	सांकेतिक	23-10-2026 सुबह: 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक
5.	**श्रीमती लक्ष्मी देवी मुंदड़ा पति श्री श्यामसुंदर मुंदड़ा** पता: 66 बैकुंठधाम कॉलोनी इन्दौर **शाखा: साउथ तुकोगंज**	रू. 34,74,48,439.46 + अप्रयुक्त ब्याज एवं अन्य खर्चे नियमानुसार लागू	कार्यालय परिसर क्रमांक ए, प्रथम तल शालीमार प्लाजा, 225 आएनटी मार्ग, इंदौर, मालिक श्रीमती लक्ष्मी देवी मुंदड़ा पति श्री श्यामसुंदर मुंदड़ा, सुपर बिल्टअप क्षेत्रफल 507 वर्ग फुट, **चतुर्सीमा: पूर्व:** गालियारा, **पश्चिम:** बावड़ी, **उत्तर:** कार्यालय, **दक्षिण:** कार्यालय नं. बी, **मालिक: श्रीमती लक्ष्मी देवी मुंदड़ा पति श्री श्यामसुंदर मुंदड़ा**	26.10.2026 को दोपहर 02:00 बजे से शाम 6:00 बजे	15,97,000/- 1,59,700/- 1,00,000/-	सांकेतिक	23-10-2026 सुबह: 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक

सरफेसी एक्ट 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के अंतर्गत विक्रय हेतु 15 दिवसीय वैधानिक सूचना

निविदा की शर्तों से संबंधित अन्य समस्त जानकारियां वेब साईट https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm and https://baanknet.com पर उपलब्ध है।
स्थान : इन्दौर, दिनांक : 04.10.2026 प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

Bank of India रिश्तों की जमापूंजी Relationship beyond banking

आस्ति वसूली शाखा, आंचलिक कार्यालय प्लॉट नंबर 9–आरसी, स्कीम नंबर 134, एम. आर–10 इंदौर (म.प्र.) 452010
फोन नम्बर 0731–2445122, 212
Email: arb.indore@bankofindia.bank.in

अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय सूचना

ई–नीलामी विक्रय सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन, हेतु ई–नीलामी विक्रय सूचना

आल आस्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय सूचना आम लोगों को और विशेष रुप से उधार लेने वाले/जमानतदारों को यह नोटिस दिया जाता है कि निम्न वर्णित सारणी के कॉलम 3 में उल्लिखित अचल संपत्ति जो **प्रतिभूत लेनदार (बैंक ऑफ इंडिया)** के पास गिरवी / प्रभारित है, जिसका सांकेतिक/भौतिक कब्जा प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जहां है ,जैसा है और जो कुछ भी है"** के आधार पर निम्नलिखित तालिका के कॉलम 2 में उल्लिखित ऋणी एवं जमानतदारों से बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूत लेनदार) की निम्नलिखित तालिका के कॉलम 4 में उल्लिखित राशि की वसूली हेतु **दिनांक 27.10.2026** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य एवं जमा योग्य अग्रिम धनराशि तालिका के कॉलम 6 व 7 में क्रमशः दी गई है।

ई–नीलामी दिनांक 27.10.2026 को प्रातः 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक

शाखा का नाम (1)	ऋणी / जमानतदार का नाम (2)	संपत्ती का विवरण व स्वामी का नाम (3)	मांग सूचना 13(2) के तहत मांग नोटिस दिनांक व बकाया राशि (4)	आधिपत्य की दिनांक व प्रकार (5)	आरक्षित राशि (रू.) (6)	ईएमडी (7)
शाखा : एआरबी	**मैसर्स श्री बालाजी उद्योग (प्रोपराईटर: श्री संदीप गोयल पिता शंकर लाल गोयल), श्री संदीप गोयल पिता शंकर लाल गोयल (प्रोपराईटर-बंधककर्ता), दोनों का पता 1:** मनीष धर्मशाला के पास, कल्लनगंज, खंडवा म.प्र. (450001), **पता 2:** के.एच. नंबर 224/2, पीएच नंबर 62, ग्राम बोरगांव खुर्द, खंडवा म.प्र. (450001), **श्रीमती मंजू अग्रवाल पति सुनील अग्रवाल (जमानतदार-बंधककर्ता), पता:** प्लॉट नं. 327, स्विधा ज्वेलर्स, सराफा बाजार, भुसावल, जिला जलगांव महाराष्ट्र (425201), **श्रीमती सपना अग्रवाल पति दीपेश अग्रवाल (जमानतदार), पता:** श्याम विलास चौराहा, गोकुलगंज, महू, जिला इंदौर म.प्र. (453441), **श्रीमती शीतल सिंघल पति पवन कुमार सिंघल (जमानतदार)** पता: 50, सोमनाथ की जूनी चाल, वल्लभ नगर, इंदौर म.प्र. (452003)	संपत्ति का समस्त भू भाग व अशं व्यावसायिक डायवर्टेड भूमि और भवन के.एच. नम्बर 224/2, पीएच नंबर 62, ग्राम बोरगांव खुर्द, खंडवा, **संपत्ति मालिक:** श्रीमती मंजू अग्रवाल पति श्री सुनील अग्रवाल (जमानतदार) और श्री संदीप गोयल (प्रोपराईटर), क्षेत्रफल 0.40 हेक्टेयर या 43560 वर्गफीट, **संपत्ति की चतुर्सीमा: उत्तर:** हरकचंद पिता सुखराम की भूमि, **दक्षिण:** बाबू पिता नारायण और गहनाबाई पति दशरथ की भूमि (विनायक उद्योग ऑयल मिल), **पूर्व:** अमराती बाई पति सुखराम और सरवन पिता मांगीलाल की भूमि, **पश्चिम:** रास्ता	05.07.2025 ₹ 1,54,18,784.11 + ब्याज एवं अन्य खर्च	07.09.2026 भौतिक	₹ 145.50 लाख	₹ 14.55 लाख

क्रेता के द्वारा स्टाम्प शुल्क, बिक्री प्रमाण पत्र शुल्क, पंजीकरण शुल्क, टी.डी.एस. सरकार को देय सभी वैधानिक बकाया, कर और दरों और संपत्तियों से संबंधित कोई अन्य खर्च, मौजूदा और भविष्य, दोनों के लिए देय होगा। बिक्री प्रमाण पत्र केवल सफल बोलीदाता के नाम से ही जारी किया जाएगा।

ई-नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाईट https://baanknet.com बोलीकर्ता https://baanknet.com, नियम व शर्तो की अधिक जानकारी हेतु शैक्षणिक वीडियो के साथ देख सकते है। बोलीकर्ता को पूर्व में ही बोली पंजीयन की सभी औपचारिकताएं पूर्ण करना अनिवार्य है। नीलामी से संबंधित सभी जानकारी ई-नीलामी दिनांक से पहले ही प्राप्त कर लेने की सभी जवाबदारी बोलीकर्ता की रहेगी।

ए. सफल बोलीकर्ता को घोषणा के तुरंत बाद बिक्री मूल्य का 25% (पहले से भुगतान की गई ईएमडी घटाकर) जमा करना होगा।
बी. नीलामी- बिक्री की कार्यवाही में बैंकिंग लेनदेन का समय समाप्त होने के पश्चात, खरीद मूल्य का 25% (पहले से भुगतान की गई ईएमडी घटाकर) अगले कार्य दिवस तक जमा कराना होगा।
सी. बिक्री मूल्य की शेष राशि का भुगतान बिक्री की दिनांक से 15 वें (पंद्रहवें) दिन के भीतर जमा किया जाना होगा।
डी. उपर उल्लिखित अवधि के भीतर भुगतान न करने पर, जमा और बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से बेच दिया जाएगा।
इ. सफल बोलीकर्ता की यह जिम्मेदारी होगी की आयकर अधिनियम की धारा 194-IA के तहत लागू 1% की दर से टीडीएस जमा करना होगा, यदि इस तरह के प्रतिफल के लिए जमा या भुगतान की गई राशि का योग रु. 50 लाख या अधिक है। टीडीएस को फार्म 26QB आनलाईन भरकर जमा कराना होगा और टीडीएस सर्टिफिकेट फार्म 16B में जारी करना होगा। खरीदार को सरकारी खाते मे आयकर जमा करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
एफ. बोली केवल ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत की जाएगी।
जी. प्राधिकृत अधिकारी का उक्त ई-नीलामी को बिना किसी कारण बताए रद्द करने का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।
एच. आरक्षित मूल्य से कम से कम एक वृद्धि राशि जोडने पर ही बोली स्वीकार होगी।

दिनांक : 03.10.2026, स्थान: इन्दौर प्राधिकृत अधिकारी: बैंक ऑफ इंडिया